FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0296 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 14/11/2025 14:29 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 30/08/2025 Date To (दिनांक तक): 16/09/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 13:50 बजे Time To (समय तक): 12:41 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 14/11/2025 Time (समय): 14:18 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 14/11/2025 14:29:58 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 60 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL

   (b) Address(पता): GRAM PANCHAYAT BHAWAN, JALIMPURA

   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

   Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): DHANRAJ PAHADIYA

(b) Father's Name (पिता का नाम): HEMRAJ

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1993

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM BHAT MOHALLA KANWAS, KANWAS, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM BHAT MOHALLA KANWAS, KANWAS, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PAWAN PRAJAPATI		पिता: BHAWANISHANKAR	1. GRAM AVM POST KALMANDA,BARAN,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		19,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 19,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

वाक्यात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 30.08.2025 को समय 01.50 पी.एम.पर परिवादी श्री धनराज पहाडिया पुत्र श्री हेमराज पहाडिया उम्र 32 साल जाति खटीक निवासी भाट मोहल्ला कनवास, पुलिस थाना कनवास, तहसील कनवास, जिला कोटा, अपने ताउ जी के लडके श्री रोहित कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण उम्र 26 वर्ष जाति खटीक निवासी भाट मोहल्ला कनवास, पुलिस थाना कनवास, तहसील कनवास, जिला कोटा, मोबाईल नम्बर[redacted]के साथ उपस्थित कार्यालय आया। श्री धनराज पहाडिया परिवादी ने हस्तलिखित एक प्रार्थना पत्र मय कार्य-आदेश की तथा परिवादी के आधार कार्ड की हस्ताक्षरशुदा प्रतियां मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय का पेश किया कि " मैं धनराज पहाडिया पुत्र श्री हेमराज जी पहाडिया जाति खटीक उम्र 32 साल निवासी कनवास थाना कनवास जिला कोटा राजस्थान का रहने वाला हूं। मेरी पत्नि श्रीमति रेना आर्य ने पहाडिया एन्टरप्राईजेज के नाम से फर्म बना रखी है मेरी पत्नि रेना आर्य ने ग्राम पंचायत जालिमपुरा पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा द्वारा पंचायत जालिमपुरा के गांवो में घर-घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण एवं गांवो की सडक एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई कार्य की सेवाओ हेतु निविदा निकालने पर निविदा भरी थी। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा ने मेरी पत्नि की फर्म पहाडिया इन्टरप्राईजेज को कार्य आदेश 259 दिनांक 14.07.2025 से वित्तिय वर्ष 2025-26 मे यह सफाई का कार्य दिया है। जिसकी पालना में मेरी पत्नि की फर्म ने सफाई कार्य आदेशानुसार किया है। मेरी पत्नि की फर्म के इस कार्य में मैं व मेरा ताउजी का लडका श्री रोहित कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण जी जाति खटीक निवासी कनवास देख-रेख में मदद करते हैं। मेने व मेरे भाई रोहित कुमार ने श्री पवन जी प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जालिमपुरा पंचायत समिति सांगोद से एक माह पूर्ण होने पर बिल पास करने का निवेदन किया तो श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी जालिमपुरा ने कहा कि आपके फर्म के इस सफाई के काम में 42,000 रुपये खर्च हुए है और 7,000 रुपये आप फर्म का लाभ ले लो बाकी 21,843 रुपये मुझे रिश्वत में दो तब मे आपका 70,843 रुपये का बिल बना कर पास कर दूंगा। हमारे पर पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दबाव डालने पर हम दोनो ने उसे 21,843 रुपये रिश्वत देने की हाँ कर दी श्री पवन प्रजापति ने हमारी फर्म का बिल बनाकर 70,843 रुपये फर्म के खाते में कुछ दिन पहले डाल दिये श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी 21,843 रुपये रिश्वत मांग रहा है ओर हमे परेशान कर रहा है मेरी पत्नि ने ACB में श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही के लिए मुझे अधिकृत किया है। मेरी पत्नी, मेरी व मेरे भाई रोहित कुमार की श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी से कोई रंजिस नही है और हमारा इससे उधार का लेन-देन बकाया भी नही है। मै श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी को हमारे जायज काम के बदले रिश्वत नही देना चाहता। श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जालिमपुरा पंचायत समिति सांगोद को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं श्री पवन प्रजापति रिश्वत के लिए मेरे ताउजी के बेटे रोहित के मोबाईल नम्बर [redacted]र उसके मोबाईल नं.[redacted]से Whatsapp call कर रिश्वत के लिए फोन कर परेशान कर रहा है मेरे मोबाईल नम्बर[redacted] है। कार्यादेश, मेरे आधार कार्ड की फोटो प्रति संलग्न है मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करे। मेरा भाई रोहित भी कार्यवाही के लिए मेरे साथ आया है।" परिवादी श्री धनराज पहाडिया से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पूछताछ की तो परिवादी श्री धनराज पहाडिया ने लिखित रिपोर्ट स्वयं द्वारा लिखना तथा रिपोर्ट में लिखे तथ्य सही होना बताया और लिखित रिपोर्ट पर स्वयं तथा अपने ताउजी के लडके श्री रोहित कुमार के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी श्री धनराज पहाडिया तथा सहपरिवादी श्री रोहित कुमार को लिखित रिपोर्ट मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने पढकर सुनाई तो परिवादी तथा सहपरिवादी ने लिखित रिपोर्ट मे अंकित तथ्य सही होना बताए। परिवादी ने रिपोर्ट के साथ पेश कार्य-आदेश क्रमांक 259 दिनांक 14.07.2025 की प्रति तथा स्वयं के आधार कार्ड की प्रति पर स्वयं के हस्ताक्षर किए हुए होना बताया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य व पूछताछ परिवादी व सहपरिवादी से मामला रिश्वत मांग का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधी में आना प्रथम दृष्टया पाया गया है। परिवादी ने बताया कि आरोपी जब भी मुझसे रिश्वत की मांग करेगा मैं कॉल कर आपको बता दूंगा। मामला रिश्वत की मांग का होने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने चैक कर परिवादी श्री धनराज पहाडिया के हाथ में डिजीटल वाईस रिकॉर्डर देकर चालू, बन्द करना, वार्ता रिकार्ड करना

अच्छी तरह समझाया गया। परिवादी श्री धनराज पहाडिया को गोपनीय सत्यापन के समय आरोपी श्री पवन प्रजापति से अपने काम व रिश्वत राशि के बारे में वार्ता करने व वार्ता को डिजिटल वाईस रिकाँर्डर में रिकाँर्ड करना समझाया गया। डिजीटल वाईस रिकाँर्डर वापस मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। श्री राजूराम कानिस्टेबल का परिचय परिवादी श्री धनराज पहाडिया तथा सहपरिवादी श्री रोहित कुमार से करवाया गया। परिवादी श्री धनराज पहाडिया को हिदायत दी गई कि आरोपी जब भी आप से रिश्वत राशि की मांग करे, आप मुझे सूचित करे। परिवादी श्री धनराज पहाडिया, सहपरिवादी श्री रोहित कुमार को गोपनीयता बनाए रखने की व आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 04.09.2025 को समय 11.32 ए.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री धनराज पहाडिया के मोबाइल नम्बर पर काँल किया तो काँल कनेक्ट नही हुआ। समय 11.54 ए.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर परिवादी श्री धनराज पहाडिया के मोबाइल नम्बर से काँल आया तथा परिवादी श्री धनराज पहाडिया ने बताया कि मैने आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम सेवक को काँल किया तो आरोपी ने बताया कि मेरा ग्राम पंचायत मण्डाप में ट्रांसफर हो गया है। मैने नये ग्राम विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत जालिमपुरा का चार्ज नही दिया है। परिवादी श्री धनराज पहाडिया ने बताया कि आरोपी ग्राम पंचायत जालिमपुरा आएगा या नही आएगा पता नही है। आरोपी जब भी ग्राम पंचायत जालिमपुरा आएगा तो मैं अग्रिम कार्यवाही के लिए आपको काँल कर बता दूंगा। परिवादी श्री धनराज पहाडिया को गोपनीयता बरतने व आवश्यक हिदायत की गई। दिनांक 10.09.2025 को समय 11.57 ए.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री धनराज पहाडिया के मोबाइल नम्बर पर काँल कर वार्ता की तो परिवादी श्री धनराज पहाडिया ने बताया कि आरोपी श्री पवन प्रजापति से मेरी बात हुई थी तो उसने इस महिने का सफाई का बिल भी खुद ही बनाने का कहा है। आरोपी श्री पवन प्रजापति दिनांक 14.09.2025 के आसपास बिल बनाने के लिए ग्राम पंचायत जालिमपुरा आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। परिवादी श्री धनराज पहाडिया को आवश्यक हिदायत की गई। दिनांक 14.09.2025 को समय 01.33 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री धनराज पहाडिया के मोबाइल नम्बर पर काँल कर वार्ता की तो परिवादी श्री धनराज पहाडिया ने बताया कि मेरे भाई श्री रोहित कुमार की आरोपी श्री पवन प्रजापति से बात हुई थी तो उसने इस महिने का सफाई का बिल भी उसके द्वारा ही बनाने का कहा है। पिछले महीने के बिल की रिश्वत राशि उसे नही देने का ओलमा दिया। परिवादी श्री धनराज पहाडिया को आवश्यक हिदायत की गई। दिनांक 15.09.2025 को समय 01.55 पी.एम.पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री धनराज पहाडिया के मोबाइल नम्बर पर काँल कर वार्ता की तो परिवादी श्री धनराज पहाडिया ने बताया कि आरोपी श्री पवन प्रजापति ने कल दोपहर में ग्राम पंचायत जालिमपुरा आना बताया है, आप अपने स्टाफ को अग्रिम कार्यवाही के लिए तैयार रखना। मैं कल सुबह आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी से बात कर आपको बता दूंगा। परिवादी श्री धनराज पहाडिया को आवश्यक हिदायत की गई। दिनांक 16.09.2025 को समय 09.16 ए.एम. पर परिवादी श्री धनराज पहाडिया का मन् अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर काँल आया तथा बताया कि आरोपी श्री पवन प्रजापति ने आज 11.30 ए.एम. पर जालिमपुरा पहुँचना बताया है। मेरी आज रिश्वत सम्बंधी बात हो सकती है, आप अपने स्टाफ को कनवास भेज दो। श्री धनराज पहाडिया को आवश्यक हिदायत की गई। समय 09.47 ए.एम. पर मन अति. पुलिस अधीक्षक ने श्री राजूराम कानि. 276 को निर्देश देकर परिवादी श्री धनराज पहाडिया के मोबाईल नम्बर नोट करवाकर परिवादी को काँल करवाया। तो श्री राजूराम कानि. ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री धनराज पहाडिया के मोबाइल नम्बर पर काँल कर अपना परिचय देकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक की परिवादी श्री धनराज से वार्ता करवाई जिस पर मैने परिवादी को बताया कि हमारे कार्यालय के श्री राजूराम कानिस्टेबल तथा श्री नरेश कानिस्टेबल आपके पास डिजिटल वाईस रिकाँर्डर मय मैमोरी कार्ड लेकर आ रहे हैं। परिवादी को हिदायत दी गई कि आप आरोपी श्री पवन प्रजापति से अपने काम व रिश्वत राशि के बारे में स्पष्ट बात करे । समय 09.55 ए.एम. पर मालखाने से डिजिटल वाईस रिकाँर्डर मय मैमोरी कार्ड निकालकर श्री राजूराम कानिस्टेबल 276 को सुपुर्द कर हिदायत की कि कनवास पहुंचकर परिवादी श्री धनराज पहाडिया से सम्पर्क कर उसे डिजिटल वाईस रिकाँर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर देना तथा परिवादी को डिजिटल वाईस रिकाँर्डर पुनः चलाना, बंद करना तथा वार्ता रिकाँर्ड करने की विधि भलीभांति समझा देना । श्री राजूराम कानि. 276 तथा श्री नरेश कानि. 144 को हिदायत दी कि परिवादी व आरोपी के मध्य होनी वाली रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को यथासंभव नजदीक रहकर छुपाव हासिल करते हुए देखने व सुनने का प्रयास करें। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकाँर्डर तैयार कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाए गए । श्री राजूराम कानि. 276 व श्री नरेश कानि.144 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु सरकारी मोटर साईकिल से रवाना किया गया। समय 01.19 पी.एम. पर श्री राजूराम कानि. का मेरे मोबाईल नम्बर पर व्हाट्सएप्प काँल आया जिस पर श्री राजूराम कानि. ने बताया कि परिवादी की आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बंध में वार्ता हो गई है। मन अति. पुलिस अधीक्षक ने श्री राजूराम कानि. को परिवादी के मोबाईल से परिवादी से मन अति. पुलिस अधीक्षक की वार्ता कराने की कहा और परिवादी के साथ दोनो कानि. को कार्यालय आने के निर्देश दिए। समय 01.21 पी.एम. पर परिवादी श्री धनराज पहाडिया का मेरे मोबाईल नम्बर पर व्हाट्सएप्प काँल आया जिस पर परिवादी श्री धनराज पहाडिया ने बताया कि मुझे राजूराम जी कानि. ने ग्राम पंचायत जालिमपुरा से कुछ दूरी पहले

डिजिटल वाईस रिकाँर्डर मय मैमोरी कार्ड दे दिया था। आपके कार्यालय के राजूराम जी कानि. व नरेश जी कानि. पंचायत से थोडा पहले रुक गए थे। मैं और मेरा भाई रोहित कुमार ग्राम पंचायत जालिमपुरा में गए। वहां मेरी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी से मेरे काम व रिश्वत मांग के सम्बंध में वार्ता हुई है जो मैने डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकाँर्ड कर ली है। मैं आपके कार्यालय आ जाता हूं। इस पर मन अति. पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री धनराज पहाडिया को मय डिजिटल वाईस रिकाँर्डर मय मैमोरी कार्ड कार्यालय आने के निर्देश दिए। समय 3.27 पी.एम. पी.एम.पर परिवादी धनराज पहाडिया, सहपरिवादी श्री रोहित कुमार स्वयं की मोटर साईकिल से तथा श्री राजूराम कानि. 276 व श्री नरेश कानि. 144 सरकारी मोटर साईकिल से उपस्थित कार्यालय आए। परिवादी श्री धनराज पहाडिया ने कार्यालय का सरकारी डिजीटल वाँईस रिकार्डर ADATA 16 MICRO SD मैमोरी कार्ड मन् अति. पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि आपके कार्यालय के श्री राजूराम जी कानिस्टेबल तथा नरेश जी कानिस्टेबल लगभग 11.30 ए.एम. पर कनवास आ गए थे। श्री राजूराम जी ने मुझे डिजीटल वाईस रिकाँर्डर चलाना, बंद करना व वार्ता रिकार्ड करना भलीभांति समझा दिया था। समय लगभग 11.55 बजे करीब मैने अपने मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम सेवक के मोबाईल नम्बर पर मेरे मोबाईल का स्पीकर आँन कर काँल कर वार्ता की तो उन्होने आधा घण्टे में जालिमपुरा पहुंचना बताया। इस वार्ता को श्री राजूराम जी कानिस्टेबल ने डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकाँर्ड किया था। इस पर मैं तथा मेरे ताउजी का लडका रोहित मेरी मोटर साईकिल से तथा श्री राजूराम जी कानि. तथा श्री नरेश जी कानि. उनकी मोटर साईकिल से ग्राम पंचायत जालिमपुरा के लिए रवाना हो गए थे। थोडी देर में हम चारो सारणेश्वर महादेव मंदिर जालिमपुरा में पहुंचकर रुके थे। थोडी देर बाद आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम सेवक के मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर काँल आया, मैने मेरे मोबाईल का स्पीकर आँन कर काँल उठाकर वार्ता की तो आरोपी श्री पवन प्रजापति ने कहा कि मैं ग्राम पंचायत जालिमपुरा कार्यालय में आ गया हूं आप लोग आ जाओ मैने कहा ठीक है इस पर उसने कहा कहां से आओगे आप तो मैने कहा कनवास से। इस वार्ता को श्री राजूराम जी कानिस्टेबल ने डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकाँर्ड किया था। इस पर हम थोडी देर लगभग 10 मिनट वहीं रुके तथा उसके बाद श्री राजूराम जी ने मुझे डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर पुनः चालू व बंद करना तथा बातचीत रिकार्ड करना समझाया था। फिर थोडी देर बाद मैंने डिजिटल वाईस रिकाँर्डर मय मैमोरी कार्ड चालू कर दिया फिर मैं तथा मेरे ताउजी का लडका रोहित कुमार आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी जालिमपुरा से वार्ता करने उसके कार्यालय ग्राम पंचायत जालिमपुरा के लिए हमारी मोटर साईकिल से रवाना होकर ग्राम पंचायत जालिमपुरा के अंदर गए थे। श्री राजूराम जी कानि. तथा श्री नरेश जी कानि. भी उनकी मोटर साईकिल से हमारे पीछे-पीछे आए थे तथा कार्यालय ग्राम पंचायत जालिमपुरा के आस-पास अपनी उपस्थित छिपाते हुए छुप गए थे। मैं और रोहित कार्यालय ग्राम पंचायत जालिमपुरा में गए वहां श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत जालिमपुरा की पूर्व सरपंच वर्तमान प्रशासक जिनका नाम मुझे पता नही है, के पति श्री भंवर सिंह जी रेबारी भी बैठे थे। मैने आरोपी श्री पवन प्रजापति से उसके ट्रांसफर के सम्बंध में वार्ता करने के बाद हमारे सफाई के बिल बनाने सम्बंधी काम तथा रिश्वत राशि के सम्बंध में बात की। थोडी देर बात करने के बाद मैने श्री भंवर सिंह जी रेबारी तथा मेरे भाई श्री रोहित को कार्यालय के उस कमरे से बाहर भेज दिया था। फिर मैने अकेले में आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी से बात की तो उन्होने मुझसे पिछले महीने के पास किए गए सफाई के बिल के 21,000रुपये रिश्वत राशि की मांग की, मैने उनसे रिश्वत राशि कम करने के लिए निवेदन किया तो श्री पवन प्रजापति जी 19,000रुपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हो गए। मैने उन्हे मेरे पास से 3,500रुपये रिश्वत देना चाही तो उन्होने लेने से मना कर दिया तथा सारी राशि सरपंच साहब को देने के लिए कहा। पूर्व सरपंच और वर्तमान प्रशासक के पति श्री भंवर सिंह जी रेबारी को श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी सरपंच साहब के नाम से संबोधित कर रहे थे। श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी के कहे अनुसार मैने भंवर सिंह रेबारी वर्तमान प्रशासक एवं पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जालिमपुरा के पति को 3,500रुपये नही दिए तथा भंवर सिंह जी रेबारी से इस सम्बंध में कोई बात भी नही की। फिर मैं तथा मेरे ताउ जी का लडका रोहित हमारी मोटर साईकिल से रवाना होकर श्री राजूराम जी तथा नरेश जी के पास सारणेश्वर महादेव मंदिर जालिमपुरा आ गए थे तथा डिजीटल वाईस रिकाँर्डर मय मैमोरी कार्ड को एकांत स्थान पर मैंने बंद कर दिया था तथा नरेश जी तथा श्री राजूराम जी को सारी बात बताई थी। इस पर हम चारो अपनी-अपनी मोटर साईकिलो से रवाना होकर एसीबी कार्यालय कोटा देहात आ गए। इस पर सहपरिवादी श्री रोहित कुमार तथा श्री राजूराम कानि. 276 व श्री नरेश कानि 144 से मन अति पुलिस अधीक्षक ने पूछा तो तीनो ने परिवादी के कथनों की ताईद की। मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालू कर सुना गया तो परिवादी, सहपरिवादी तथा श्री राजुराम कानि. 276 व श्री नरेश कानि. 144 के कथनों की पुष्टि हुई। डिजीटल वाँईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को मेरे पास सुरक्षित रखा गया। समय 04.40 पी.एम. पर श्री नरेश कानि. 144 को अति. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग कोटा के नाम तहरीर देकर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में लेकर आने हेतु रवाना किया गया। समय 04.50 पी.एम. पर परिवादी श्री धनराज पहाडिया तथा सहपरिवादी श्री रोहित कुमार ने बताया कि आज हमे कुछ बहुत जरुरी काम है आज हम ज्यादा समय नही रुक सकते, हम कार्यवाही के लिए कल आपके आफिस में आ जाएंगे। समय 05.15

पी.एम. पर श्री नरेश कानि.144 उक्त फिकरा का रवानाशुदा वापस आया और मन अति. पुलिस अधीक्षक को कार्यालय अति. अति. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग कोटा का पत्रांक 1138 दिनांक 16.09.2025 पेश किया तथा पत्रानुसार दो स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश गुर्जर कनिष्ठ लेखाकार व श्री दिलखुश मीना कनिष्ठ लेखाकार अपने साथ लेकर उपस्थित आया। मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित दोनों गवाहान को स्वयं का परिचय दिया तथा उन्हे बताया कि गोपनीय कार्यवाही हेतु आप लोगो को कल पुनः इस कार्यालय में आना है। समय 05.16 पी.एम. पर चूंकि परिवादी श्री धनराज पहाडिया तथा सहपरिवादी श्री रोहित कुमार ने घर पर बहुत जरुरी काम होना बताया था अतः परिवादी तथा सहपरिवादी को गोपनीयता की तथा आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। समय 05.30 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश गुर्जर कनिष्ठ लेखाकार व श्री दिलखुश मीना कनिष्ठ लेखाकार को आवश्यक हिदायत कर उनके कार्यालय के लिए रवाना किया गया। समय 05.40 पी.एम. पर मन् अति पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड तथा ट्रेप कार्यवाही पत्रावली को मेरे कार्यालय कक्ष में रखी सरकारी टेबल की दराज में सुरक्षित रख कर लॉक कर चाबी स्वयं के पास सुरक्षित रखी। दिनांक 17.09.2025 को समय 10.50 ए.एम. पर मन् अति पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री धनराज पहाडिया के मोबाईल पर कॉल कर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि मैं आज अग्रिम कार्यवाही के लिए आपके कार्यालय में आ जाता हूं। तो परिवादी को कार्यालय में आने के लिए निर्देशित किया गया। समय 11.17 ए.एम. पर परिवादी श्री धनराज पहाडिया का मन् अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल आया तथा परिवादी ने बताया कि सहपरिवादी रोहित कुमार के जरुरी काम होने से साथ में कार्यालय नही आना बताया। परिवादी को अकेले ही कार्यालय आने हेतु निर्देशित किया गया। समय 01.09 पी.एम. पर पूर्व का पाबंदशुदा परिवादी श्री धनराज पहाडिया उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। समय 01.15 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में रखी सरकारी टेबल की दराज में रखी ट्रेप कार्यवाही की पत्रावली तथा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को लॉक खोलकर निकाला। समय 01.19 पी.एम. पर पूर्व के पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश गुर्जर कनिष्ठ लेखाकार व श्री दिलखुश मीना कनिष्ठ लेखाकार को श्री नरेश कानि. के जर्ये मोबाईल से फोन करवाकर बुलवाया जिस पर इस समय दोनो उपस्थित कार्यालय आए। मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित दोनों गवाहान को की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराया। दोनों गवाहान का परिचय परिवादी श्री धनराज पहाडिया से करवाया। दोनों गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह बनने की मौखिक सहमति चाही तो दोनो ने मौखिक तौर पर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति दी। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों गवाहान से पढवाकर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 1.30 पी.एम.पर श्री धनराज पहाडिया ने दिनांक 16.09.2025 को समय 11.56 ए.एम. पर अपने मोबाईल नम्बर से अपने मोबाईल का स्पीकर चालु कर आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर मोबाईल वार्ता की थी। उक्त वार्ता को श्री राजुराम कानि. 276 द्वारा कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में एमपी 3 फाईल नम्बर 250916_1156 में कुल 16 सैकण्ड की वार्ता को रिकॉर्ड किया गया था। कार्यालय के श्री असलम खान सउनि द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओं को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को परिवादी श्री धनराज पहाडिया तथा आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई उक्त मोबाईल वार्ता को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जालिमपुरा पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा की होना पहचान की। रूबरू गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता प्रथम मेरे निर्देशन में श्री असलम खान सउनि से तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 1.47 पी.एम. पर श्री धनराज पहाडिया के मोबाईल नम्बर पर आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर से दिनांक 16.09.2025 को समय 12.33 पी.एम. पर कॉल आने पर परिवादी ने अपने मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता की थी, उक्त वार्ता को श्री राजुराम कानि. 276 द्वारा कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में एमपी 3 फाईल नम्बर 250916_1233 कुल 17 सैकण्ड की वार्ता को रिकॉर्ड किया गया था। कार्यालय के श्री असलम खान सउनि द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओं को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को परिवादी श्री धनराज पहाडिया तथा आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई उक्त मोबाईल वार्ता को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जालिमपुरा पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा की होना पहचान की। रूबरू गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता द्वितीय मेरे निर्देशन में श्री असलम खान सउनि से तैयार करवाई गई। समय 02.05 पीएम पर परिवादी श्री धनराज पहाड़िया ने आरोपी पवन प्रजापति से दिनांक 16.09.2025 को रिश्वत मॉंग सत्यापन वार्ता की थी जिसको परिवादी श्री धनराज पहाड़िया ने कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में एमपी 3 फाईल नम्बर 250916_1241 कुल 27 मिनट 47 सेकण्ड की वार्ता को रिकॉर्ड किया गया था। कार्यालय के श्री असलम खान सउनि द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को

परिवादी श्री धनराज पहाडिया तथा आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई उक्त सत्यापन वार्ता को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की, दूसरी आवाज आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जालिमपुरा पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा तथा तीसरी आवाज अपने ताऊजी के लडके सहपरिवादी श्री रोहित की होना पहचान की। रूबरू गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत माँग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री असलम खान सउनि से तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 05.40 पी.एम. पर परिवादी श्री धनराज पहाडिया ने बताया कि आज समय 10.55 ए.एम पर मैने मेरे मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर वार्ता की तो आरोपी श्री पवन प्रजापति ने दो दिन तक शिविर में व्यस्त होना बताया था तथा बताया कि मैं ब्लॉक विकास अधिकारी अर्थात बीडीओ साहब पंचायत समिति सांगोद से बात कर लूंगा कि सफाई का बिल मुझे बना कर पेंमेट करना है या नये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जालिमपुरा श्री संदीप चैहान जी को बिल बनाना है जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। इस पर परिवादी को गोपनीयता की तथा आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। समय 05.47 पी.एम. पर कार्यालय में उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान को ट्रेप कार्यवाही के हालात से अवगत करवाकर गोपनीयता की तथा आवश्यक हिदायत कर उनके कार्यालय के लिए रवाना किया गया। समय 05.55 पी.एम. पर मन् अति पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड तथा ट्रेप कार्यवाही पत्रावली को मेरे कार्यालय कक्ष में रखी सरकारी टेबल की दराज में सुरक्षित रख कर लॉक कर चाबी स्वयं के पास सुरक्षित रखी। दिनांक 19.09.2025 को समय 02.20 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री धनराज पहाडिया के मोबाइल नम्बर पर कॉल कर वार्ता की तो परिवादी श्री धनराज पहाडिया ने बताया कि आरोपी ने दो दिन शिविर में बिजी होने का नाम लिया था। कि आरोपी ने मुझे फोन पर कहा था कि दिनांक 15.08.2025 से 14.09.2025 तक के महीने का सफाई का मेजरमेंट आदि की पूर्ति करके बिल मैं ही बनाउंगा। बिल का पेमेंट वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी जालिमपुरा द्वारा आपको किया जाएगा। आगामी तीन दिन दिनांक 20.09.2025 से 22.09.2025 तक शनिवार, रविवार तथा नवरात्रा स्थापना की सरकारी छुट्टियां हैं इन दिनों आरोपी भी उसके गांव जा सकता है और मैं फोन करुंगा तो वो शंका कर सकता है। परिवादी को समझाईश की गई कि आरोपी ग्राम विकास अधिकारी जब भी आपसे रिश्वत राशि की मांग करे तो आप अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् अति. पुलिस अधीक्षक को सूचित करें अथवा कार्यालय में उपस्थित आए। परिवादी को गोपनीयता रखने तथा आवश्यक समझाईश की गई। दिनांक 23.09.2025 को समय 11.34 ए.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने मेरे मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री धनराज के मोबाईल पर कॉल कर वार्ता की तो उसने बताया कि हमारी फर्म का 14.09.2025 तक का महीने का बिल बनवाना था हमें लेबर को पेंमेंट करना था इसलिए मैने आरोपी श्री पवन प्रजापति को पिछले तीन दिनों में दो-तीन बार अपने मोबाईल से कॉल किया परंतु आरोपी श्री पवन प्रजापति द्वारा कॉल अटेण्ड नही किया गया। मेरी फर्म के सफाई के इस माह के बिल आरोपी द्वारा ही बनाए जाऐंगे तथा पैमेंट नए ग्राम विकास अधिकारी जी करेंगे। मैं अपने बिल बनवाने के लिए आज बीडीओ साहब सांगोद के पास जाउंगा। परिवादी को गोपनीयता की व आवश्यक हिदायत की गई। दिनांक 24.09.2025 को समय 11.43 ए.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर परिवादी श्री धनराज के मोबाईल मोबाइल नम्बर से कॉल आया। परिवादी ने बताया कि आरोपी तथा नए बीडीओ साहब मेरा कॉल अटेण्ड नही कर रहे हैं। मैं कल बीडीओ साहब पंचायत समिति सांगोद के पास सांगोद गया था उन्होने कहा कि मैने बिल बनाने का कह दिया है आपका बिल बन जाएगा। मैने आरोपी श्री पवन प्रजापति बीडीओ को रिश्वत नही दी इसलिए मेरा कॉल नही उठा रहा। आरोपी से जब भी बात हो जाएगी मैं आपको सूचित कर दूंगा। परिवादी को गोपनीयता की व आवश्यक हिदायत की गई। दिनांक 29.09.2025 को समय 05.01 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री धनराज के मोबाइल नम्बर पर कॉल कर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि मैने आरोपी को रिश्वति राशि नही दी इसलिए उसने गए महीने का बिल कम राशि का बनाया है। आरोपी अभी बात करने के मूड में नही है छुट्टियों के बाद उसे कॉल करुंगा। नए वीडीओ साहब ने 05 तारीख तक मेरी फर्म के गए माह के बिल की राशि खाते में डालने का कहा है। दिनांक 01.10.2025 को समय 01.39 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर नम्बर से परिवादी श्री धनराज के मोबाइल नम्बर पर कॉल कर वार्ता की तो परिवादी श्री धनराज पहाडिया ने बताया कि पिछले महिने का सफाई का बिल आरोपी श्री पवन प्रजापति ने बना दिया है। नए वीडीओ साहब ने मुझे पंचायत समिति में लेखा शाखा में हस्ताक्षर करवाकर बिल उन्हे देने की कहा है। मैने आरोपी को बिल पास करने की रिश्वत नही दी इसलिए हमारी फर्म का गए महीने का बिल शायद कम का बनाया है। पहले रोज सफाई करने पर भी 70,843रुपये बनाया था। इस महीने ज्यादा समय तक ज्यादा सफाई करवाने पर भी कम राशि का बिल बनाया है। मैं पढा लिखा होशियार होने से आरोपी मुझ से रिश्वत लेने में शंका कर सकता है। मेरे भाई रोहित से रिश्वत दिलाने सम्बंधी बात करुंगा। आरोपी मेरा तो कॉल भी रिसीव नही करता। हमने कनवास कस्बे का भी सफाई का काम ले रखा है, लेबर को पेमेंट भी करना है। अभी मेरे पास रिश्वत राशि के रुपये नही है। आरोपी पवन प्रजापति को देने के लिए मुझे रिश्वत राशि का इंतजाम करने में समय लगेगा। दिनांक 03.10.2025 को समय 12.31 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री धनराज के मोबाइल नम्बर

पर कॉल कर वार्ता की तो परिवादी श्री धनराज पहाडिया ने बताया कि आरोपी ने पिछले महीने का सफाई का बिल करीब 50,000रुपये का बनाया है जबकि सफाई का काम ज्यादा करवाया है। मैं अभी बीमार हूं, मेरी तबियत सही होने पर ही मैं अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय आ सकूंगा। आरोपी का स्थानांतरण हो जाने की वजह से भी वह मेरा कॉल नही उठाता। परिवादी को उसकी पत्नि के नाम फर्म के खाते का स्टेटमेंट जिसमें सफाई के बिल की राशि जमा हुई साथ लाने को कहा। परिवादी को रिश्वत राशि का इंतजाम करने, आवश्यक समझाईश व गोपनीयता की हिदायत की गई। दिनांक 07.10.2025 को समय 01.32 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री धनराज के मोबाइल नम्बर पर कॉल कर वार्ता की तो परिवादी श्री धनराज ने बताया कि आरोपी श्री पवन प्रजापति ने हमारी फर्म का सफाई का बिल जो कम राशि का बनाया है उसके सम्बंध में रिवाईज बिल में संशोधन करवाने के लिए बीडीओ साहब सांगोद से मिलूंगा। आरोपी अब रिश्वत के लिए कॉल भी नही कर रहा तथा मेरा कॉल भी नही उठा रहा। इसलिए अब ट्रेप कार्यवाही करवाना संभव नही लगता। अग्रिम कार्यवाही के लिए कल सम्पर्क करुंगा। दिनांक 13.10.2025 को समय 09.04 ए.एम पर परिवादी श्री धनराज पहाडिया के मोबाईल नम्बर से मन अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर कॉल आया तथा परिवादी ने बताया कि मैं आज अग्रिम कार्यवाही के लिए लगभग एक-ढेड घण्टे में आपके कार्यालय पहुंच जाउंगा। समय 10.21 ए.एम पर परिवादी श्री धनराज पहाडिया उपस्थित कार्यालय आया। समय 10.40 ए.एम. पर श्री नरेश कानि. 144 द्वारा जर्ये मोबाईल पूर्व के तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश गुर्जर कनिष्ठ लेखाकार व श्री दिलखुश मीना कनिष्ठ लेखाकार उपस्थित कार्यालय आये। समय 11.10 ए.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश गुर्जर कनिष्ठ लेखाकार व श्री दिलखुश मीना कनिष्ठ लेखाकार के समक्ष परिवादी श्री धनराज ने एक हस्तलिखत प्रार्थना पत्र मय 70,843 रुपये बिल राशि का स्वयं के मोबाईल पर प्राप्त एसएमएस के प्रिंट की स्वंप्रमाणित फोटो प्रति तथा 14.09.2025 तक एक महीने का सफाई का बिल राशि 55,468रुपये के तीन पेजों की स्वंप्रमाणित फोटोप्रतियां मन् अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया। प्रार्थना पत्र निम्नानुसार है "मेने 30.08.025 को मेरी पत्नि की फर्म के सफाई के बिल श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जालिमपुरा पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा द्वारा दिनांक 14.08.025 तक एक माह का बिल बनाकर पास करने के एवज में 21,843रुपये रिश्वत मांगने पर कार्यवाही के लिए आपको कार्यालय में रिपोर्ट पेश की थी। श्री पवन प्रजापति का स्थानान्तरण दुसरी ग्राम पंचायत में होने से वह वहा चला गया लेकिन उसने नये ग्राम विकास अधिकारी श्री संदीप चैहान को जालिमपुरा पंचायत का चार्ज नही दिया था। दिनांक 16.09.025 को श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी के ग्राम पंचायत जालिमपुरा आने का उसने मुझे फोन पर बताया था तब मेने आपको फोन कर आपके कर्मचारी को सत्यापन हेतु रिकोर्डर देकर भेजने की कहा था। आपने श्री राजु कान्सटेबल व श्री नरेश कान्सटेबल को रिकोर्डर देकर कर मेरे पास भेजा था। श्री राजु जी कान्सटेबल ने मुझे रिकोर्डर चलाना बन्द करना वार्ता रिकार्ड करना सिखाया था रिकार्डर में मेमोरी कार्ड भी था फिर में और मेरा भाई रोहित ग्राम पंचायत जालिमपुरा में गये और मैने श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी से हमारे पिछले महिने के सफाई के बिल के रिश्वत के बारे में बात की थी। पवन प्रजापति ने मेरे से 20000रुपये पहले के बिल पास करने की रिश्वत मांगी। मेने रोहित भाई और प्रशासक प्रतिनिधि पति भंवर सिंह रेबारी को कमरे से बाहर भेज दिया था फिर मेने अकेले में पवन प्रजापति से रिश्वत कम करने का निवेदन किया तो उन्होने 19000रुपये रिश्वत लेने को तैयार हो गया ओर रिश्वत श्री भंवर सिंह रेबारी प्रशासक पति को देने को कहा तब मेरे पास 3500रुपये थे लेकिन भंवर सिंह रेबारी प्रशासक पति ने मेरे से रिश्वत नहीं मांगी थी और हमारे काम मे सहयोग कर रहे थे इसलिए मेने उनको 3500रुपये रिश्वत मे नही दिये। और हमारी सारी बात रिकोर्डर में रखे मेमोरी कार्ड में मेने रिकार्ड कर ली थी श्री पवन प्रजापति ने 14.09.025 तक के महिने का बिल भी स्वयं द्वारा बनाना मुझे बताया था। मेने पिछले महिने की रिश्वत राशि 21000रुपये पवन प्रजापति को नही देने से मेरे से नाराज हो गया ओर हमारी फर्म का 14.09.2025 तक का सफाई का बिल हमे नुकसान पहुंचाने के लिए 55,468रुपये का कम का बनाया मैने पवन प्रजापति को दिनांक 16.09.025 के बाद मोबाईल से फोन किए थे लेकिन उसने मेरे फोन नही उठाये। श्री पवन प्रजापति मेरे पर शंका करता है उसकी ड्यूटी भी दूसरी ग्राम पंचायत विनोद खुर्द पंचायत समिति सांगोद में है हमारा पिछला बिल अभी भी कम बनाने से हमने विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगोद को सही बिल बनाने के लिए प्रार्थना पत्र भिजवाया है अब पवन प्रजापति तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी जालिमपुरा मेरे से रिश्वत नही लेगा इसलिए श्री पवन प्रजापति, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जालिमपुरा पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा के खिलाफ अग्रिम कानुनी कार्यवाही करे। श्री भंवर सिंह रेबारी प्रशासक पति ग्राम पंचायत जालिमपुरा के खिलाफ में कोई कार्यवाही नही चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे से रिश्वत नहीं मांगी और नही कोई रिश्वत सम्बन्धी वार्ता की। रिपोर्ट पेश है।" परिवादी श्री धनराज पहाडिया ने पूछताछ पर बताया कि यह लिखित रिपोर्ट मेरी हस्तलिखित है और इसमें अंकित तथ्य सही हैं। मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने लिखित रिपोर्ट दोनो स्वतंत्र गवाहों को पढवाई। मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने लिखित रिपोर्ट पढकर परिवादी श्री धनराज पहाडिया को दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुनाई। दोनो स्वतंत्र गवाहान के लिखित रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाए गए। समय 11.53 ए.एम. पर कार्यालय में मन् अति. पुलिस अधीक्षक के कक्ष की सरकारी टेबल की दराज में सुरक्षित रखे गए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने मेरे पास उपलब्ध चाबी से दराज खोलकर लेकर परिवादी श्री धनराज

पहाडिया व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को श्री असलम खान सउनि से कार्यालय के कम्प्यूटर में लगवाया गया। कम्प्यूटर में लाईसेंसी एन्टीवायरस संधारित है उससे उक्त डाटा को स्कैन किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वाईरस/मालवेयर नही होना पाया गया। दिनांक 16.09.2025 को समय 11.56 ए.एम. पर परिवादी श्री धनराज पहाडिया व आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता दिनांक 16.09.2025 को समय 12.33 पी.एम. पर परिवादी श्री धनराज पहाडिया व आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता तथा दिनांक 16.09.2025 को ही परिवादी श्री धनराज पहाडिया व आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की मेरे निर्देशन में असलम खान सउनि के द्वारा चार पेन ड्राईव तैयार करवाई गई। एक पेन ड्राईव मय कवर वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिए, एक पेन ड्राईव मय कवर आरोपी के लिए एवं एक पेन ड्राईव मय कवर एफ.एस.एल. से नमूना आवाज मिलान के लिए पृथक-पृथक कपड़े की थैलियों में बन्द कर सील मोहर की गई एवं कपडे की थैलीयों पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव मय कवर अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखी गई। उक्त समस्त रिकॉर्ड वार्ताओं की श्री असलम खान सउनि से हैश वैल्यू निकलवाई जाकर प्रिंट लिया गया तथा उक्त प्रिंटों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड जिसमें उक्त वार्ताओं को रिकॉर्ड किया गया था को भी कपडे की थैली में रखकर मय कवर बन्द कर सील मोहर की गई एवं कपडे की थैली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तैयारशुदा चार पेन ड्राईव व एक मूल मैमोरी कार्ड की थैलियों को कब्जे एसीबी लिया गया। कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। समय 01.40 पी.एम. पर परिवादी श्री धनराज पहाडिया, स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश गुर्जर कनिष्ठ लेखाकार व श्री दिलखुश मीना कनिष्ठ लेखाकार को बाद कार्यवाही गोपनीयता बरतने व आवश्यक समझाईस कर सकुशल रवाना किए गए। प्रकरण के समस्त हालात से पाया गया कि परिवादी श्री धनराज पहाडिया की पत्नि श्रीमति रेना आर्य ने पहाडिया इन्टर प्राईजेज के नाम से फर्म बना रखी है, ग्राम पंचायत जालिमपुरा, पंचायत समिति सांगोद का घर-घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण एवं गांवो की सडक एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई का कार्य कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा से जर्ये निविदा कार्य आदेश 259 दिनांक 14.07.2025 से वित्तिय वर्ष 2025-26 मे यह सफाई का कार्य फर्म पहाडिया इन्टरप्राईजेज को दिया गया। उक्त फर्म के संचालन में परिवादी श्री धनराज पहाडिया तथा उसके ताउ जी का लडका श्री रोहित कुमार सहयोग करते है। ग्राम पंचायत जालिमपुरा पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा को एक माह का सफाई का कार्य पूर्ण होने पर परिवादी श्री धनराज पहाडिया तथा उसके ताउ जी का लडका श्री रोहित कुमार आरोपी श्री पवन प्रजापति, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जालिमपुरा पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा से किए गए सफाई कार्य का बिल पास करने हेतु मिले। इस पर आरोपी श्री पवन प्रजापति, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 70,843रुपये का बिल पास करने की एवज में 21,843रुपये रिश्वति राशि की मांग की गई तथा 70,843रुपये राशि का बिल पास कर ऑनलाईन पहाडिया एंटरप्राईजेज के खाते में डाल दिए गए। परंतु रिश्वति राशि 21,843रुपये की मांग आरोपी श्री पवन प्रजापति, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा की गई तथा परिवादी को परेशान किया गया। रिश्वति संबंधित शिकायत परिवादी श्री धनराज पहाडिया तथा उसके ताउ जी के लडके श्री रोहित कुमार द्वारा दिनांक 30.08.2025 को मन् अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात पर उपस्थित होकर पेश की गई, जिसमें आरोपी श्री पवन प्रजापति, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा द्वारा परिवादी से 21843रुपये रिश्वत की मांग करना परिवादी द्वारा अंकित किया गया, जिस पर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन दिनांक 16.09.2025 को करवाया गया, जिसमें आरोपी श्री पवन प्रजापति, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जालिमपुरा पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा द्वारा पूर्व में पास किए गए बिल के लिए 21,000रुपये रिश्वत राशि की मांग कर 19,000रुपये रिश्वति राशि लेने पर सहमत होने की पुष्टि हुई। दिनांक 16.09.2025 को परिवादी श्री धनराज पहाडिया व आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी धनराज पहाडिया कहता है कि " अरे पर आप एक बात सोचो इक्कीस हजार रुपये बहुत होते है आप भी समझते हो इस चीज को दो पैसे के लिए कर रहे हैं" इस पर आरोपी श्री पवन प्रजापति कहता है कि " कोई दिक्क्त नही है" इस पर परिवादी का भाई श्री रोहित कुमार कहता है कि " देख लो यार उन्नीस बीस" इस पर आरोपी श्री पवन प्रजापति कहता है कि" उन्नीस बीस हो गई ना देखो उन्नीस बीस की बात नही है जैसे मैं तो इस चीज का जानता हूं जब अपने बीच बात हो जाती है ....अस्पष्ट.... क्योंकि बात होने के बाद में पेमेंट करते है मैने आपको हर प्रकार से सब निकालने के बाद में बात हो गई फिर अब बीच में अपने ये चीज आए" इसी वार्ता में आगे परिवादी कहता है कि " तो इक्कीस हजार तो बहुत हो जाते है है आप भी जानते हो यार इस पर आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी कहता है कि " वो जोड कर ही बडाए थे तैने अगर वो चीज पहले हो जाती करता क्या हिसाब प्रयास मेरे तो वो थी ना यार अभी सरपंच साहब को देने है .....अस्पष्ट..... वो चीजें है यार एईन, जेईएन, बीडीओ है, डबल ऐ ओ सबका है यार और कोई चीजे थोडी है यार अलग से थोडी कर रहे है यार" इसी वार्ता में आगे परिवादी कहता है कि " तो कितने हो रहे है फिर टोटल" इस पर आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी कहता है कि "भाई एक-एक हजार कम कर लेंगे तो उन्नीस हो जाएंगे सीधा सा और क्या होंगे" दिनांक 16.09.2025 को परिवादी श्री धनराज

पहाडिया व आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी ने रिश्वति राशि ग्राम पंचायत जालिमपुरा की पूर्व सरपंच एवं वर्तमान प्रशासक के पति श्री भंवर सिंह रेबारी को देने के लिए कहा परंतु परिवादी उक्त श्री भंवर सिंह रेबारी को रिश्वति राशि नही देना चाहता था। तत्पश्चात् आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने तथा परिवादी श्री धनराज पहाडिया का कॉल भी अटेण्ड नहीं करने, उसके पास परिवादी का कोई काम अब पेडिंग नही रहने से तथा किसी तरह शक होने से ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकी। इस प्रकार आरोपी श्री पवन प्रजापति, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जालिमपुरा पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा द्वारा परिवादी श्री धनराज पहाडिया की फर्म पहाडिया ऐंटरप्राईजेज द्वारा ग्राम पंचायत जालिमपुरा, पंचायत समिति सांगोद में दिनाक 14.07.2025 से दिनांक 14.08.2025 तक एक माह किए गए सफाई कार्य का बिल पास करने की एवज में रिश्वत राशि की मांग की गई। परिवादी द्वारा आरोपी को 19,000रुपये रिश्वत राशि नही देने से नाराज होकर परिवादी को नुकसान पहुंचाने के लिए परिवादी की पत्नि की फर्म का सफाई का 14.09.2025 तक का बिल पूर्व माह के बिल राषि 70,8433रुपये की तुलना में सफाई का ज्यादा काम करने पर भी 55,468 रुपये का बिल बनाया। परिवादी द्वारा कम राशि का बिल बनाने की शिकायत विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा को करने से उक्त बिल अभी पास होना शेष है। आरोपी श्री पवन प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी का ग्राम पंचायत जालिमपुरा से ग्राम पंचायत विनोदखुर्द स्थानांतरण हो जाने से, आरोपी के पास परिवादी का कोई काम पेंडिंग नही रहने से, परिवादी का मोबाईल आरोपी द्वारा अटेण्ड नही करने से तथा किसी तरह शक हो जाने के कारण ट्रेप कार्यवाही नही हो सकी। इस प्रकार आरोपी श्री पवन प्रजापति, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जालिमपुरा पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत पृथम दृष्टया दण्डनीय अपराध होना पाया गया है। अतः नियमानुसार बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (गोपाल सिंह कानावत)अति.पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा देहात........कार्यवाही पुलिस........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी पवन प्रजापति पुत्र भवानीशंकर उम्र 26 साल निवासी ग्राम पोस्ट कलमण्डा तहसील बाराँ जिला बाराँ हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जालिमपुरा पंचायत समिति सांगोद पुलिस थाना कनवास जिला कोटा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अनिष अहमद उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 268 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1681-84 दिनांक 14.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कोटा 3- उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा देहात। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ANISH AHMED **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2025 1[illegible]

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1999				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)